संलग्नक 1

संख्या : 2/7/73 रा0एकी0

प्रेषक,

श्री सत्य प्रकाश भटनागर,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक : लखनऊ, 16 जुलाई, 1976।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

विषय :—अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये प्रोत्साहन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत रखने तथा समाज में एकता बनाये रखने के लिए अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इससे भिन्न-भिन्न परिवारों में एकता की भावना सुदृढ़ होगी और जाति-पाति का भेदभाव मिटेगा। राष्ट्रीय एकता की दिशा में इस प्रकार के विवाहों को सक्रिय प्रोत्साहन देने के लिये शासन ने एक योजना बनाई है जिसकी सामान्य रूप रेखा के अन्तर्गत अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को पुरस्कार के रूप में एक हजार रुपया, एक मेडल, एक प्रमाण-पत्र तथा लघु उद्योग लगाने हेतु ब्याज रहित ऋण तथा मकान बनाने के लिये भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। शर्त यह होगी कि अन्तर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों में एक पक्ष अनुसूचित जाति का होगा और अन्तर्धार्मिक विवाह में धर्म परिवर्तन नहीं होगा। योजना का पूर्ण प्रारूप तैयार होने के पूर्व यह आवश्यक है कि इस योजना का हर जिले में आम जनता में प्रचार किया जाये और आवेदन-पत्र (संलग्न प्रपत्र में) आपके द्वारा आमंत्रित किये जायं, इस पर अगले आदेश होने तक आवश्यक जांच की कार्यवाही भी शुरू कर दी जाये।

भवदीय,
सत्य प्रकाश भटनागर,
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या : 2/7/73-(1)—रा0एकी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
के0 एन0 घोष,
अनुसचिव।

संख्या : 2/7/73-(11)—रा0एकी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित:—

1—राज्यपाल के सचिव।
2—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3—मुख्य मंत्री, अन्य मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों को मुख्य मंत्री, अन्य मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों के सूचनार्थ।

आज्ञा से,
के0 एन0 घोष,
अनुसचिव।

संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल ऐसे दम्पति को योजना के अधीन जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाय, अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करते हैं, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

नियमावली

संक्षिप्त नाम

1--यह नियमावली "उत्तर प्रदेश अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 कही जाएगी।

प्रारम्भ होने का दिनांक

2--यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

3--(क) "पुरस्कार" में नकदी, पदक या ऐसे अन्य प्रोत्साहन या ऐसी सुविधाएं देना भी सम्मिलित है जैसी राज्य सरकार समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ग) "जिला मजिस्ट्रेट" का तात्पर्य उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से है जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में कोई विशिष्ट दम्पति, जो इस नियमावली के अधीन अनुमन्य किसी सुविधा का पात्र हो, स्थायी रूप से निवास करता है या अधिवासित है।

(घ) "अनुसूचित जाति" का तात्पर्य ऐसी जाति, मूलवंश या जन-जाति या ऐसी जाति मूलवंश या जन-जाति के भाग या अन्तर्गत समूह से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जाति समझा जाता हो।

पात्रता

4--नियम 5, 6 और 7 के अधीन रहते हुए किसी दम्पति को पुरस्कार देने के लिए पात्रता निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर होगी:--

(1) दम्पति भारत के नागरिक हैं;

(2) दम्पति इस राज्य के वास्तविक निवासी या अधिवासी हैं;

(3) उनका विवाह वास्तविक रूप से अन्तर्जातीय या अन्तर्धार्मिक है परन्तु अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में विवाह का एक पक्ष अनुसूचित जाति का है; और विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 43, 1954) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या किसी रजिस्ट्रीकृत अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाह संघ या ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है या मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर या देवस्थान में सम्यक् रूप से सम्पन्न हुआ है।

स्पष्टीकरण :--इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, कोई विवाह अन्तर्धार्मिक विवाह समझा जाएगा, यदि विवाह होने के पूर्व उसके पक्षकार भिन्न-भिन्न धर्म को मानने वाले थे।

पुरस्कार देने की शर्तें

5--(1) पुरस्कार पात्र दम्पति को संयुक्त रूप से अनुमन्य होगा और केवल एक बार दिया जाएगा।

(2) इस नियमावली के अधीन पुरस्कार प्राप्त करने वाले विवाहित दम्पति में से किसी सक्षम द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन न्यायिक पृथक्करण, विवाह-विच्छेद या विवाह विघटन प्राप्त कर लेने पर, दम्पति पुरस्कार पर व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि या मूल्य सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होंगे और वह भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूलीय होगी।

(3) यदि बिना किसी न्याय संगत कारण के और विवाह के दिनांक से आरम्भ होकर पांच वर्ष की अवधि के पूर्व किसी दम्पति के वैवाहिक सम्बन्ध टूट जाते हैं तो तदुपरान्त पुरस्कार की सम्पूर्ण धनराशि या मूल्य भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूलीय हो जाएगा।

पुरस्कार की धनराशि

6--पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाय, केवल एक हजार रुपया या उससे कम ऐसी धनराशि होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाय।

पुरस्कार के लिए आवेदन-पत्र देने की रीति

7--पुरस्कार के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र, परिशिष्ट-1 में विहित प्रपत्र में, जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर आवेदक और, यथास्थिति, उसकी पत्नी या उसके पति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा या उसकी पत्नी या उसके पति का अंगुष्ठ-चिन्ह लगा होगा और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाए जायेंगे-- ।

(एक) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालक) / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट या तहसीलदार का जाति प्रमाण-पत्र ।

(दो). विवाह सम्बन्धी विवरण ।

(तीन) आवेदक और उसकी पत्नी या उसके पति द्वारा परिशिष्ट-2 में विहित प्रपत्र में, स्टाम्प-पत्र (न्यायालय) पर हस्ताक्षरित एक करार ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, प्राप्त आवेदन-पत्र की आवश्यक संवीक्षा करने के पश्चात् ऐसे दम्पति का जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र समझे, नाम और पता और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिश राष्ट्रीय एकीकरण विभाग में सरकार को अग्रसारित करेगा ।

अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करने पर नकद पुरस्कार आदि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र

1—(क) पति

(ख) पत्नी

2—विवाह के पूर्व का पूरा पता :

(क) पति

(ख) पत्नी

3—राष्ट्रीयता, धर्म जाति तथा उपजाति :

(क) पति

(ख) पत्नी

4—विवाह विवरण : (क) विवाह के समय आयु :

(क) पति

(ख) पत्नी

(ख) विवाह सम्पन्न होने का स्थान दिनांक:

(ग) विवाह का विवरण :

(1) क्या विवाह पंजीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उसकी संख्या तथा दिनांक एवं उस दफ्तर का नाम जहां विवाह पंजीकृत हुआ।

(2) विवाह किस धार्मिक रीति के अनुसार सम्पन्न हुआ है ? इस सम्बन्ध में प्रमाण/साक्ष्य क्या है ?

(3) क्या विवाह किसी अन्तर्जातीय विवाह कराने सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा हुआ अथवा मन्दिर आदि में सम्पन्न हुआ ?

(4) विवाह की वैधता को प्रमाणित करने के लिये साक्ष्य यदि हो।

(5) उन दो जिम्मेदार व्यक्ति के नाम तथा पते जिनकी उपस्थिति में विवाह सम्पन्न हुआ।

(1) नाम

(2) पता

(1) नाम

(2) पता

5—व्यवसाय :

(क) पति

(ख) पत्नी

6—पति के पिता का नाम :

(क) उनका पता तथा व्यवसाय (यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अन्तिम पता व व्यवसाय) :

(ख) उनकी राष्ट्रीयता, धर्म, जाति तथा उपजाति :

7—पत्नी के पिता का नाम :

(क) उनका पता तथा व्यवसाय (यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अन्तिम पता व व्यवसाय) :

(ख) उनकी राष्ट्रीयता, धर्म, जाति तथा उपजाति :

8—उत्तर प्रदेश में निवास का समय :

(क) पति

(ख) पत्नी

हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि उपरोक्त तथ्य शुद्ध एवं ठीक है तथा हमने अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह से सम्बन्धित नियमावली को भली प्रकार देख लिया है तथा हम उसका पूर्णतया पालन करेंगे।

पति के हस्ताक्षर———————

दिनांक———————

पत्नी के हस्ताक्षर———————

परिशिष्ट-2

करार-विलेख (जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर होगा)

हम (पति) ——————————— पुत्र श्री ———————————
निवासी ——————————— (2) पत्नी ———————————
पुत्री श्री ——————————— निवासी ———————————
एतद्द्वारा पति-पत्नी के रूप में रहने का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करते हैं और व्यतिक्रम की स्थिति में पुरस्कार आदि के मद में प्राप्त समस्त धनराशि, भू-राजस्व की बकाया की भांति सरकार को वापस करने के उत्तरदायी होंगे।

पति के हस्ताक्षर———————

पत्नी के हस्ताक्षर———————

संख्या-2/7/73-रा0 एकी0

प्रेषक,

श्री के0 एन0 घोष,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 21 अगस्त, 1976।

विषय :---अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये प्रोत्साहन।

महोदय,

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-2 — उक्त विषयक शासकीय परिपत्र सं0 2/7/73-रा0 ए की0, दिनांक 16 जुलाई, 1976 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उस परिपत्र से संलग्न आवेदन-पत्र के फार्म में कुछ आंशिक संशोधन किये गये हैं। अतः अब संलग्न प्रपत्र में आवेदन-पत्र आपकी ओर से आमंत्रित किये जायें।

भवदीय
के0 एन0 घोष,
अनु सचिव।

Annexure I

अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करने पर नकद पुरस्कार आदि प्राप्त करने हेतु

प्रार्थना-पत्र

1- नाम तथा वर्तमान पूरा पता :

(क) पति

(ख) पत्नी

2- विवाह के पूर्व का पूरा पता :

(क) पति

(ख) पत्नी

3- राष्ट्रीयता, धर्म, जाति तथा उपजाति :

(क) पति

(ख) पत्नी

4- विवाह सम्बन्धी विवरण : (क) विवाह के समय आयु :

(क) पति

(ख) पत्नी

(ख) विवाह सम्पन्न होने का स्थान तथा दिनांक :

(ग) विवाह का विवरण :

(1) क्या विवाह पंजीकृत हुआ है, यदि हाँ, तो उसकी संख्या तथा दिनांक एवं उस दफ्तर का नाम जहाँ विवाह पंजीकृत हुआ ।

(2) विवाह किस धार्मिक रीति के अनुसार सम्पन्न हुआ है ? इस सम्बन्ध में प्रमाण/साक्ष्य क्या है ?

(3) क्या विवाह किसी अन्तर्जातीय विवाह कराने सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा हुआ अथवा मंदिर आदि में सम्पन्न हुआ ?

(4) विवाह की वैधता को प्रमाणित करने के लिये कोई साक्ष्य यदि हो ।

(5) उन दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम तथा पते जिनकी उपस्थिति में विवाह सम्पन्न हुआ :

साक्षी का विवरण :

नाम ------------------------

पता ------------------------

5- व्यवसाय :

(क) पति

(ख) पत्नी

पु0प0व0

6- पति के पिता का नाम :

(क) उसका पता तथा व्यवसाय (यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अन्तिम पता व व्यवसाय) :

(ख) उनकी राष्ट्रीयता, धर्म, जाति तथा उपजाति :

7- पत्नी के पिता का नाम :

(क) उनका पता तथा व्यवसाय (यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अन्तिम पता व व्यवसाय) :

(ख) उनकी राष्ट्रीयता, धर्म, जाति तथा उपजाति :

8- उत्तर प्रदेश में निवास का समय :

(क) पति

(ख) पत्नी

हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेते हैं कि उपरोक्त तथ्य शुद्ध एवं ठीक है तथा हम ने अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह से सम्बन्धित नियमावलियों को भली प्रकार देख लिया है तथा हम उनका पूर्णतया पालन करेंगे।

पति के हस्ताक्षर -------------

दिनांक : ---------- पत्नी के हस्ताक्षर -------------

संख्या-991/चालीस-77-2/7/73

प्रेषक,

श्री गंगा राम,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 17 दिसम्बर, 1977 ।

विषय :---अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये प्रोत्साहन देने की अन्तिम योजना ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-2

महोदय,

शासकीय परिपत्र संख्या 2/7-73-रा0ए0की0, दिनांक 16 जुलाई, 1976 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहों को सम्मिलित प्रोत्साहन देने की योजना का पूर्ण प्रारूप शासन द्वारा तैयार कर लिया गया है । अन्तर्जातीय विवाहितों में एक पक्ष का अनुसूचित जाति का होना, की मूल शर्त के साथ अब अन्तर्धार्मिक विवाहों में दोनों पक्षों का केवल विवाह के पूर्व भिन्न-भिन्न धर्म के अनुयायी होने की शर्त रख दी गयी है । 1 अप्रैल, 1976 अथवा उसके बाद सम्पन्न हुये विवाहित जोड़ों को ही पुरस्कृत किये जाने पर विचार होगा । प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित नियमावली की एक प्रति संलग्न है । कृपया अपने जनपद में शासन के पत्रांक 2/7/73-रा0ए0 की0-दिनांक 21 अगस्त, 1976 (प्रतिलिपि संलग्न) से संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जांच करा कर आख्या अपनी संस्तुति सहित यहां भेजते रहें । नियमावली के पैरा-7 में उल्लिखित दस्तावेज आवेदन-पत्र के साथ लगाये जायेंगे । जिन जिला मजिस्ट्रेटों ने अब तक विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन-पत्रों की यथाशक्य संवीक्षा कराकर दम्पत्तियों को पुरस्कार प्राप्त करने के लिये उन्हें यहां अग्रसारित कर दिया है, उनसे अनुरोध है कि वे पात्र दम्पत्ति से नवीन आवेदन-पत्र प्राप्त कराकर अपनी सिफारिश सहित शासन को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करा दें । जो आवेदन-पत्र पुरस्कार की संस्तुति के साथ भेजे जायं उनका पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में रखा जाय ।

(2) पत्र की पावती भेजने की कृपा करें ।

भवदीय,
गंगा राम,
आयुक्त एवं सचिव ।

संख्या-991(1)/चालीस-77-2/7/73, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,
एन0राम0,
अनु सचिव ।

संख्या 991/चालीस-77–रा0ए0की0-2-7-73

प्रेषक,

श्री गंगा राम,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला उद्योग अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 17 दिसम्बर, 1977।

विषय:—अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये प्रोत्साहन-दम्पत्तियों को लघु स्तरीय उद्योग आरम्भ करने के लिये ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत रखने तथा समाज में एकता बनाये रखने के लिये अन्तर्जातीय-अन्तर्धार्मिक विवाह काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इससे भिन्न-भिन्न परिवारों में एकता की भावना सुदृढ़ होगी और जाति-पांति का भेदभाव मिटेगा। राष्ट्रीय एकता की दिशा में इस प्रकार के विवाह को सक्रिय प्रोत्साहन देने के लिये शासन की योजना के अन्तर्गत, सामान्यतः अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों को पुरस्कार के रूप में एक हजार रुपया, एवं मेडल, एक प्रमाण-पत्र तथा लघु उद्योग लगाने हेतु ब्याज रहित ऋण तथा मकान बनाने के लिये भूमि आवंटन में प्राथमिकता देय होगी। मूल शर्त यह होगी कि, अनिवार्यतः अन्तर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों में एक पक्ष अनुसूचित जाति का होगा और अन्तर्धार्मिक विवाह की दशा में दोनों व्यक्ति विवाह के पूर्व भिन्न-भिन्न धर्म के अनुयायी रहे हों।

2—अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाला ऐसा दम्पत्ति जो सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित योजना के अन्तर्गत आये, लघु स्तरीय उद्योग चालू करने के लिये कर मुक्त ऋण पाने का पात्र होगा। उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग आरम्भ करने के लिये प्रत्येक पात्र दम्पत्ति को अधिक से अधिक रु0 15,000/- तक का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। परन्तु आवेदक के लिये आवश्यक होगा कि जो उद्योग वह आरम्भ करे उसकी कार्य-विधि का उसे पूर्ण रूप से ज्ञान हो और उस उद्योग संबंधी योजना की कुल लागत की कम से कम 5 प्रतिशत धनराशि अपने निजी संसाधनों से जुटाये। शासन के उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन-पत्र की आवश्यक संनिरीक्षा करने के पश्चात् उन पर अपनी संस्तुति जिला उद्योग समिति की टीका प्राप्त करने के पश्चात् उपयुक्त आवेदकों को ऋण स्वीकृत किये जाने के लिये शासन को अग्रसारित किये जायेंगे। सम्बन्धित कार्यकारी सिद्धान्त की एक प्रति पथ प्रदर्शनार्थ संलग्न है।

3—पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

गंगा राम,

आयुक्त एवं सचिव।

संख्या 991(1)/चालीस–77रा0ए0की0-2-73, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :—

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2—उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
3—उद्योग अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

एन0 राम,

अनु सचिव।

अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले दम्पतियों को लघुस्तरीय उद्योग आरम्भ करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाने से सम्बन्धित कार्यकारी सिद्धान्त ।

अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाला ऐसा दम्पति जो सरकार द्वारा समय-समय पर समानुमोदित योजना के अन्तर्गत आये, लघुस्तरीय उद्योग लागू करने के लिए ब्याजमुक्त ऋण पाने का पात्र होगा ।

ऋण की धनराशि

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग आरम्भ करने के लिए प्रत्येक पात्र दम्पति को अधिक से अधिक 15,000 रु० तक का ब्याज-मुक्त ऋण स्वीकृत किया जा सकता है । परन्तु आवेदक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उद्योग सम्बन्धी योजना की कुल लागत की कम से कम 5 प्रतिशत धनराशि अपने निजी संसाधनों से विनियोजित करें ।

आवेदन करने की रीति

ऋण के लिए आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में उस जिले के जिला उद्योग अधिकारी को दिए जायेंगे जहां आवेदक निवास करता हो । उद्योग जिला अधिकारी सरकार के उद्योग विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार आवेदनपत्रों की आवश्यक संनिरीक्षा करने के पश्चात् उन पर अपनी विशिष्ट संस्तुतियां लिखकर उन्हें जिला उद्योग समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसकी टीका प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें उपयुक्त आवेदकों को ऋण स्वीकृत किए जाने के लिए सरकार को अग्रसारित करेगा ।

ऋण वसूली की रीति

यथापूर्वोक्त प्रदान किए गए ऋण का प्रतिदान दस समान छमाही किस्तों में किया जाएगा उस ऋण के प्रतिदान की पहली किस्त ऋण आहरण के दिनांक से दो वर्ष के बाद देय होगी । उस दशा में जब कि ऋण की किस्तों का भुगतान देय दिनांक को न किया जाय और उस दशा में भी कि जब ऋण प्राप्त करने वाले दम्पति का विवाह-विच्छेद बिना किसी उचित कारण के और विवाह के दिनांक से दस वर्ष समाप्त होने से पूर्व हो जाए या उस दशा में जब कि विवाह कपटपूर्ण ढंग से किए गए हो, सरकार को यह शक्ति होगी कि उसे आवेदक से 8 1/2 प्रतिशत वार्षिक दर या उस समय लागू दर से ब्याज सहित भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ले । यदि ऋणगृहीता ऋण की किस्त का देय दिनांक को भुगतान करने में एक बार भी चूक करे तो ऋण की शेष धनराशि पर इसी दर से ब्याज वसूल किया जाएगा । ब्याज की यह धनराशि ऋण किस्तों के साथ-साथ वसूल की जाएगी । ऋण का उपयोग इसके आहरण के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर कर दिया जाएगा । उपयोग में न लाई गई धनराशि, यदि कोई हो वापस कर दी जानी चाहिए, अन्यथा, उस पर 8 1/2 प्रतिशत की दर से या प्रचलित दर से ब्याज वसूल किया जाएगा । ऋणगृहीता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को उस सम्पूर्ण परिसंपत्ति को, जिसे उसने ऋण के रूप में दी गई सम्पूर्ण धनराशि से तथा उस धनराशि से भी जिसे उसने अपने निजी संसाधनों से विनियोजित किया हो, अर्जित या क्रय किया हो उस समय तक बन्धक रखेगा जब तक कि ऋण की सम्पूर्ण धनराशि और ब्याज, यदि कोई उस पर उद्‌भूत हो, का पूर्णरूप से भुगतान न हो जाए ।

ऋण के लिए पात्रता

केवल वे ही विवाहित दम्पति ऋण पाने के पात्र होंगे जिनमें से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो और अन्तर्धार्मिक विवाह की दशा में भारत के संविधान में यथापरिभाषित अन्तर्जातीय विवाह की दशा में दोनों व्यक्ति विवाह से पूर्व भिन्न-भिन्न धर्म के अनुयायी हों (ऋणगृहीता के लिए यह आवश्यक होगा कि जो उद्योग वह आरम्भ करे उसकी कार्यविधि का उसे पूर्ण रूप से ज्ञान हो) ।

जांच करने वाले अधिकारी के कार्य

जांच करने वाला अधिकारी उस जिले का उद्योग अधिकारी होगा जहां वह निवास करता हो या लघु स्तरीय उद्योग आरम्भ करने का इरादा हो जांच अधिकारी, उन आवेदन-पत्रों की संनिरीक्षा करने के दौरान जो उसे ऋण के लिए प्राप्त हुए हों, ऊपर दी गई शर्तों के अलावा यह भी देखेगा कि प्रश्नगत उद्योग ऐसा जोखिमपूर्ण न हो कि दिया जाने वाला ऋण अशोध्य हो जाए । वह सरकार के उद्योग विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का भी ध्यान रखेगा ।

आवेदक को ऋण स्वीकृत किए जाने से पूर्व आवेदक उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा विहित प्रपत्र में एक बन्ध-पत्र निष्पादित करेगा ।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 ग्रा० सा० प्रशासन-11-2-04-(3186)--1994-1000(दि०)

उत्तर प्रदेश शासन
राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग
संख्या- 402/चालीस-10-20(27)/00
लखनऊ, दिनांक 30 मार्च, 2010

(9)

विज्ञप्ति

उ०प्र० अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 के नियम-7(2) को संशोधित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नवत् अनुमति प्रदान की जाती है:-

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
"जिला मजिस्ट्रेट, प्राप्त आवेदन-पत्र की आवश्यक संवीक्षा करने के पश्चात् ऐसे दम्पति का जिन्हें वह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र समझे, नाम और पता और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिश राष्ट्रीय एकीकरण विभाग में सरकार को अग्रसारित करेगा।"	"अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का विकेन्द्रीकरण करते हुये मण्डलायुक्तों को प्रोत्साहन पुरस्कार की नियमानुसार स्वीकृत हेतु अधिकृत किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट, प्राप्त आवेदन-पत्र की आवश्यक संवीक्षा करने के पश्चात् ऐसे दम्पति को जिन्हें वह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र समझे, के प्रस्ताव को प्राप्त कर, प्राप्त प्रस्ताव को अपने स्तर से नियमानुसार पूर्ण करके अपनी सिफारिश सम्बन्धित मण्डलायुक्त को भेजेंगे। [पुरस्कार की धनराशि एवं प्रशस्ति-पत्र मण्डलायुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर से संबंधित दम्पत्तियों को प्रदान किया जायेगा।]इस कार्य हेतु प्रथमतः प्राविधानित धनराशि का पचास प्रतिशत प्रदेश के सारे मण्डलों को आवंटन किया जायेगा शेष धनराशि का आवंटन मण्डलों/जनपदों की मांग के आधार पर निर्गत किया जायेगा।"

2-उपर्युक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,

नवतेज सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या- 402(1)/चालीस-2010-20(27)/00

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
(2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
(4) समस्त मा० मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण,उ०प्र०, लखनऊ।
(5) निदेशक, दूर दर्शन केन्द्र, लखनऊ, आकाशवाणी, लखनऊ।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9

आज्ञा से,

(राम बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-402(2)/चालीस-2010-20(27)/00

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को आगामी गजट के अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

2- गजट में प्रकाशन के पश्चात् विज्ञप्ति की 200 प्रतियां राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग, उ०प्र० सचिवालय को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राम बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग–2

संख्या-848/चालीस-2-20(19)-90
लखनऊ, दिनांक 15 अप्रैल, 1991

विज्ञप्ति

उ0प्र0 अन्तर्प्रांतीय/अन्तर्जातीय विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 के नियम-6 "पुरस्कार की धनराशि" को संशोधित करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित रखे जाने की अनुमति सहर्ष प्रदान करते हैं :—

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
"पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाय, केवल एक हजार रुपया या उसकी ऐसी धनराशि होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाय"	"पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाय, केवल दस हजार रुपया या उससे कम ऐसी धनराशि होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाय" ।

2—उपर्युक्त संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 1991 से प्रभावी होंगे ।

आज्ञा से,
हर्ष सनवाल,
सचिव ।

संख्या-848(1)/चालीस-2-20(19)-90

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(3) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
(4) समस्त मा0 मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/ उप मंत्रीगण के निजी सचिव ।
(5) निदेशक, दूर दर्शन केन्द्र, लखनऊ, आकाशवाणी, लखनऊ ।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1 ।

आज्ञा से,
देवी शरण टंडन,
अनु सचिव ।

संख्या-848(2)/चालीस-2-20(19)-90

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को आगामी गजट के अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

2—गजट में प्रकाशन के पश्चात विज्ञप्ति की 200 प्रतियां राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग–2, उ0प्र0 सचिवालय को भेजने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,
देवी शरण टंडन,
अनु सचिव ।

संलग्नक-(4)

उत्तर प्रदेश शासन
राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग
संख्या– 354 / चालीस–2013–20(27) / 2006
लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2013

<u>विज्ञप्ति</u>

उ0प्र0 अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली,1976 के नियम–6 "पुरस्कार की धनराशि" को संशोधित करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित रखे जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:–

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
" पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाय, केवल दस हजार रुपया या उससे कम ऐसी धनराशि होगी, जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जाय " ।	" पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाय, केवल पचास हजार रुपया या उससे कम ऐसी धनराशि होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय– समय पर नियत की जाय " ।

2– उपर्युक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल,2013 से प्रभावी होंगे ।

आज्ञा से,

(नेत राम)
प्रमुख सचिव

संख्या– 354(1) / चालीस–2013–20(27) / 2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
(5) निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ / आकाशवाणी, लखनऊ ।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9

आज्ञा से,

(नेत राम)
प्रमुख सचिव

संख्या– 354(2) / चालीस–2013–20(27) / 2006

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आगामी गजट के अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

2– गजट में प्रकाशन के पश्चात् विज्ञप्ति की 500 प्रतियां राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय को भेजने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिन्हा)
उप सचिव

ई-मेल

संख्या-325/चालीस-2024-20(1)2023

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 13 जून, 2024

विषय: अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन पुरस्कार देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली,1976 सपठित संशोधन विज्ञप्ति संख्या-402/चालीस-10-(27)/2006, दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा 'पुरस्कार की धनराशि' को संशोधित कर रु0 50,000/- (पचास हजार मात्र) किये जाने सम्बन्धी संशोधन विज्ञप्ति संख्या-354/चालीस-2013-20(27)/2006, दिनांक 21 मार्च, 2013 में दी गई शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रत्येक मण्डल को नियमानुसार 50 प्रतिशत अर्थात रु0 25,000/- (रु0 पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि एक अन्तर्धार्मिक वैवाहिक दम्पत्ति के हिसाब से कुल 18 मण्डलों को रु0 4,50,000/- (रु0 चार लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन र रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यदि किसी मण्डल में एक से अधिक दम्पत्ति के प्रकरण आते हैं तो तदनुसार समयबद्ध रूप से शासन के संज्ञान में लाया जाए। एक दम्पति को रु0 50,000/- प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाने का प्राविधान है।

2- उक्त धनराशि उ0प्र0 अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन देने की नियमावली,1976 में दी गई शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

3- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। धनराशि का आहरण करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित छाया प्रति के साथ लेखाधिकारी/लेखामिलान प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-53 के अधीन लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 800-अन्य व्यय-13-अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नकद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत)-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by
Jitendra Kumar
Date: 10-06-2024 15:20:37

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या- /चालीस-2024-20(1)2023 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3-प्रधान लेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4-वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
5-समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
7-गार्ड बुक/बजट सहायक।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव

RPD35

20(01)2023

संख्या-327/चालीस-2024-~~बजट(2)/2019~~

प्रेषक,

चन्द्रिका प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक:13 जून,2024

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

विषय:- अन्तर्धार्मिक विवाह दम्पति को प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु धनराशि आवंटन की ग्रिड रिपोर्ट।

महोदय,

अन्तर्धार्मिक विवाह दम्पति को प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-325/चालीस-2024-20(1)2023, दिनांक 13.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त वित्तीय स्वीकृति के बजट से सम्बन्धित ग्रिड रिपोर्ट की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नियमानुसार धनराशि आहरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

(चन्द्रिका प्रसाद)
अनु सचिव

संख्या /चालीस-2024-बजट(2)/2019

प्रतिलिपि- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश को ग्रिड रिपोर्ट की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- यथोक्त

आज्ञा से,

(चन्द्रिका प्रसाद)
अनु सचिव

RPD38

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-13/06/2024

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-40-2024-20-1-2023
अनुदान संख्या:- 53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय
13 - अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नकद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
2	मेरठ-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
3	अलीगढ-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
4	आगरा-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
5	बरेली-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
6	मुरादाबाद-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
7	कानपुर नगर-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
8	प्रयागराज-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
9	झाँसी-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
10	वाराणसी-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
11	मिर्ज़ापुर-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
12	गोरखपुर-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
13	बस्ती-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
14	आजमगढ-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
15	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
16	अयोध्या-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
17	गोण्डा-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
18	चित्रकूट-4218-आयुक्त-अपर आयुक्त वित्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 25000	25000 25000
	योग	वर्तमान प्रगामी	450000 450000	450000 450000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार लाख पचास हजार

(चन्द्रिका प्रसाद)
अनु सचिव